प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 101 / **2023** (अपील सूचना का अधिकार)

संदीप अरोड़ा पताः 132, महावीर कॉलोनी, बेदला रोड़, वार्ड नंबर 8, उदयपुर
..............**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)
..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 18/09/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329838930524650 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 02.07.2023 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 5468177346 दिनांक 23.08.2023 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर / सू.अ.2005 / प्रथम अपील / 101 / 23 / 2023 / 1106–07 दिनांक 23.08.2023 से लिखा गया जिसकी पालना में प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्रांक प./41/2/सू.अ./प्रथम अपील / 101 / 2023 / 958 दिनांक 04.09.2023 से कार्यालय को अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनिमय 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.07.2023 को ऑनलाईन इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। प्रार्थी द्वारा प्रथम अपील में सूचना की सर्टिफाइड हार्ड कॉपी प्राप्त नहीं होना बताया है साथ ही प्रार्थी द्वारा ऑलनाईन आवेदन किया गया था। प्रार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना संबंधित अनुभाग से प्राप्त कर इस कार्यालय के पत्रांक 3734436460 दिनांक 24.07.2023 द्वारा सूचना ऑनलाईन उपलब्ध करवा दी गई है। प्रार्थी उसके द्वारा चाही गई सर्टिफाईड हार्ड कॉपी (सत्यापित प्रमाणित प्रति) प्राप्त करने हेतु नियमानुसार पृथक से प्रतिलिपि अनुभाग में आवेदन कर प्राप्त सकते है। अतः प्रथम अपील निस्तारित करने की कृपा करावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना ऑनलाईन ही जरिये पत्रांक 3734436460 दिनांक 24.07.2023 से उपलब्ध करवा दी गई है। अतः प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करा दिये जाने से प्रकरण में अब किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रह जाने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर